<u>अत्यावश्यक</u>

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 1(1)कार्मिक/क–2/14 जयपुर, दिनांकः 1.10.2020

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स सहित)।

परिपत्र

विषयः– जनघोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज) के **बिन्दु संख्या 25.02–"सभी पदोन्नतियां टाईम स्केल के आधार पर करना"**, की क्रियान्विति के संबंध में।

वर्तमान सरकार द्वारा अपने जनघोषणा पत्र (नीतिगत दस्तावेज) के **बिन्दु संख्या** 25.02 में **"सभी पदोन्नतियां टाईम स्केल के आधार पर करना"**, की घोषणा की गई है। उक्त घोषणा की त्वरित क्रियान्विति के क्रम में कृपया निम्न बिन्दुओं पर **<u>संक्षिप्त व स्पष्ट</u>** सूचना/तथ्यात्मक टिप्पणी यथाशीघ्र इस विभाग को प्रेषित करवाने का श्रम करावें :

1. प्रत्येक सेवा में वर्तमान में पदोन्नति के कितने अवसर उपलब्ध हैं तथा इन उपलब्ध अवसरों पर पदोन्नति हेतु न्यूनतम अनुभव कितनी अवधि का निर्धारित है।
2. प्रत्येक सेवा में पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम अनुभव के अनुसार क्या पदोन्नतियां हो रही है ? यदि नहीं हो रही है तो कितने समय में पदोन्नति हो रही है, सेवावार एवं पदवार विवरण उपलब्ध करावें।
3. समयबद्ध पदोन्नति किये जाने पर संवर्ग के ढांचे पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में क्या कार्ययोजना होगी जिससे विभाग की कार्य व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव नहीं पडे।
4. सभी सेवाओं के पदों हेतु निर्धारित कर्तव्यों का विवरण (Duties and Responsibility)
5. समस्त सेवाओं के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद के विरूद्ध प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ए.सी.पी. का लाभ प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या का विवरण।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

56/2020

D:/Vishnu/Circular/2017